

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला-उदयपुर

प्रार्थी :- श्रीमती धापुकुंवर
किस्म मुकदमा - 136 भू.रा.अधि.

विपक्षी :- राज्य
पत्रावली संख्या : 143/24
जीसीएमएस : 2024/540

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 12.12.2024</p> <p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। प्रार्थीया स्वयं उपस्थित। पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त। प्रार्थीया की बहस सुनी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थीया की बहस पर मनन किया। प्रार्थीया द्वारा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीया का नाम धापुबाई पत्नी भंवरसिंह गलत अंकित होना बताया जिसे दुरुस्त किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में विक्रय पत्र दिनांक 11.10.2010 की फोटो प्रति प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। हमने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.10.2010 एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.12.2023 की फोटो प्रतियों का अवलोकन किया। प्रार्थीया का वादग्रस्त भूमि में नाम जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के नामान्तरकरण से दर्ज हुआ। प्रार्थीया द्वारा उक्त भूमि को 2 बार जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की थी। विक्रय पत्र दिनांक 26.12.2023 के नामान्तरकरण में धापुकुंवर पत्नी भंवरसिंह नाम अंकित किया गया परन्तु विक्रय पत्र दिनांक 11.10.2010 के नामान्तरकरण में धापुबाई पत्नी भंवरसिंह अंकित किया गया जबकि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में धापुकुंवर पत्नी भंवरसिंह राजपूत अंकित था। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">—: आदेश :-</p> <p>परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा सुरजी का गुडा पटवार हल्का जावड तह. घासा की जमाबन्दी नकल सम्वत् 2077-80 के खाता संख्या 89 भूमि में खातेदार धापुबाई पत्नी भंवरसिंह के बजाय धापुकुंवर पत्नी भंवरसिंह संशोधन किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार घासा को लिखा जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी मावली</p>	

